न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 226 सन 2020

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुसाराम पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
2. चन्द्रो पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
3. मनोहरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
4. कलावती पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
5. रामेश्वरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
6. अणची पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. सन्दीप पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 21/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता सख्या 17/16 की कुल 13.4050हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता कनीराम पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है कनीराम पुत्र मोमनराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है तथा कनीराम पुत्र मोमनराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 फुसाराम के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 है जो प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है इसप्रकार कनीराम पुत्र मोमनराम के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्र फुसाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है।

वादी के पिमा कनीराम पुत्र मोमनराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 6 ,8 है जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बुआ मृतक कनीराम पुत्र मोमनराम की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 8 बहिब के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 17/16 की कुल 13.4050हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता कनीराम पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है कनीराम पुत्र मोमनराम की पत्नी का भी देहान्त हो चुका है तथा कनीराम पुत्र मोमनराम के जायज वारिसान उसके पुत्र पुत्रीया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 फुसाराम के दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 है जो प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है इसप्रकार कनीराम पुत्र मोमनराम के देहान्त होने के वाद उसके जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्र फुसाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है

वादी के पिमा कनीराम पुत्र मोमनराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवाादी संख्या 1 ता 6 ,8 है जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बुआ मृतक कनीराम पुत्र मोमनराम की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 8 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 17/16 की कुल 13.4050हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 रोही मौजा किकराली के अनुसार वाद भूमि कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के दादा कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है कनीराम पुत्र मोमनराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से साबित है अर्थात कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 17/16 की कुल 13.4050हैक भूमि जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुसाराम पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
2. चन्द्रो पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
3. मनोहरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
4. कलावती पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
5. रामेश्वरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
6. अणची पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. सन्दीप पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 226 सन 2020 निर्णय दिनांक– 26/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 17/16 की कुल 13.4050हैक भूमि जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 8 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 फुसाराम पुत्र कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
2. चन्द्रो पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
3. मनोहरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
4. कलावती पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
5. रामेश्वरी पुत्री कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
6. अणची पत्नी कनीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. सन्दीप पुत्र फुसाराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 226 सन 2020 निर्णय दिनांक– 26.08.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 17/16 की कुल 13.4050हैक भूमि जो कनीराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,8 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner